Role of women in Pnachayati Raj after 73rd Amendment: A study in district Kurukshetra of Haryana, India

[1]Dr. Ashok Kumar Yadav and [2]Mrs. Madhu

[1]Associate Professor, Department of Political Science, Govt. P.G. Collage, Mahendergarh-123001, Haryana (India)
[2]Research Scholar, Department of Political Science, Singhania University, Pacheri Bari, Jhunjhnu-333515, Rajasthan, India
Email: madhuindora@yahoo.com

Abstract: To record Role of women in Pnachayati Raj after 73rd Amendment the present study was planned in Dhanipur (Pehowa), Fatehpur (Thanesar) and Salimpur (Shahabad) village of district Kurukshetra, Haryana (India). For the above study 50-50 women in each village were interviewed. In present study 50 interviewed were more adult, i.e., 66% in Salimpur village, 62% in Dhanipur village and 56% in Fatehpur village. Also in present study old age female are more in number, i.e., 12% in Fatehpur village and finally 10% in Dhanipur village and least in number (6%) in Salimpur village. In present study the interviewed female belongs to 56% general category, 24% other backward category and 20% schedule caste category in village Fatehpur; 46% general category, 28% other backward category and 26% schedule caste category in village Salimpur and 44% general category, 30% other backward category and 26% schedule caste category in village Dhanipur. In present study educational qualification of interviewed female is also observed. In village Dhanipur more women's were secondary (40%), post graduate (22%), graduate (20%), senior secondary (6%) and others (4%). In villages Fatehpur educational qualification of interview female was secondary (34%), senior secondary (28%), graduate (26%), post graduate (10%) and illiterate (6%). Also in village Salimpur educational qualification of interview female was secondary (30%), senior secondary (22%), graduate (18%), post graduate (14%) and illiterate (4%). In present study the family income source of interviewed female were also observed. Maximum house women observed, i.e., 48% in village Salimpur, 38% in village Fatehpur and 36% in village Dhanipur; agricultural income source of family i.e., 22% in village Salimpur, 42% in village Fatehpur and 38% in village Dhanipur, government employee income source i.e., 14% in village Salimpur, 4% in village Fatehpur and 6% in village Dhanipur and non government employee income source i.e., 16% in village Salimpur, 10% in village Fatehpur and 14% in village Dhanipur. In the present study, women awareness about 73rd amendment and Panchayati were also observed. The awareness about 73rd amendment were observed maximum 16% in village Fatehpur, 12% in village Salimpur and 10% in village Dhanipur; income source of Panchayati raj maximum 30% in village Dhanipur, 28% in village Salimpur and least 16% in village Fatehpur; knowledge of work and power of Panchayati raj were observed maximum 30% in village Fatehpur, 16% in village Dhanipur and 6% in village Salimpur; knowledge of position of female in Panchayati raj were maximum 14% in village Dhanipur and salimpur and least 10% in village Fatehpur; knowledge of reservation of women in Panchayati raj, assemble, parliament and rajysabha were observed maximum 16% in village Salimpur and dhanipur and least 4% in village Fatehpur; knowledge of women empowerment were observed maximum 18% in village Fatehpur, 12% in village Salimpur and least 6% in village Dhanipur. In the present study out 50 interviewed women's participated as 80% women as voter, 18% women's with political parties, 0% women's as movement and only 2% women's as candidate in election of Panchayati Raj in village Salimpur. Also in village Fatehpur, out 50 interviewed women's participated as 78% women as voter, 4% women's with political parties, 16% women's as movement and only 2% women's as candidate in election of Panchayati Raj. Also out 50 interviewed women's participated as 70% women as voter, 20% women's with political parties, 8% women's as movement and only 2% women's as candidate in election of Panchayati Raj in village Dhanipur.

[Dr. Ashok Kumar Yadav and Mrs. Madhu. **Role of women in Pnachayati Raj after 73rd Amendment: A study in district Kurukshetra of Haryana, India.** *Academ Arena* 2017;9(5):26-33]. ISSN 1553-992X (print); ISSN 2158-771X (online). http://www.sciencepub.net/academia. 3. doi:10.7537/marsaaj090517.03.

Keywords: Haryana, Kurukshetra, Women's, Panchayati Raj, 73rd Amendment, India

73 वे संवैधानिक संशोधन के पश्चात् महिलाओ कि पंचायती राज संस्थाओ में भागीदारी: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के विशेष संदर्भ में अध्ययन

[1]डॉ. अशोक कुमार यादव और [2]मधु

[1]राजनैतिक विज्ञान विभाग, राजकीय वरिष्ठ स्नातकोर महाविद्यालय महेन्द्रगढ़-123001, हरियाणा (भारत)
[2]राजनैतिक विज्ञान विभाग, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, झुंझुनू-333515, राजस्थान (भारत)
Email-madhuindora@yahoo.com

सार: वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक जिला कुरुक्षेत्र के गाँव धनीपुर (पेहोवा), फतेहपुर (थानेसर) तथा सलीमपुर (शाहबाद) में साक्षात्कार के लिए 50-50 महिलाओ का चयन किया गया है| वर्तमान अध्ययन में जिन 50 महिलाओ का साक्षात्कार लिया गया उनमें युवा उम्र कि महिलाओ की संख्या सबसे ज्यादा 66% सलीमपुर गाँव में, 62% धनीपुर गाँव में तथा 56% फतेहपुर गाँव में पाई गई| वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत बुजुर्ग महिलाओ की संख्या सबसे ज्यादा 12% गाँव फतेहपुर में, इससे कम 10% गाँव धनीपुर में तथा सबसे कम 6% गाँव सलीमपुर में पाई गई है| वर्तमान साक्षात्कार के अंतर्गत गाँव फतेहपुर में 56% सामान्य वर्ग, 24%, पिछड़े वर्ग तथा 20% अनुसूचित जाति की महिलाये थी| गाँव सलीमपुर में 46% सामान्य वर्ग, 28% पिछड़े वर्ग तथा 26% अनुसूचित जाति की महिलाए थी| उसी प्रकार धनीपुर गाँव में सामान्य वर्ग की 44%, पिछड़े वर्ग की 30% तथा अनुसूचित जाति की 26% महिलाये मिली| वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत इन महिलाओं की शैक्षिक योग्यता भी आंकी गई जिसमें धनीपुर गाँव में महिलाओ की शैक्षिक योग्यता सबसे ज्यादा 40% दसवी, 22% स्नातकोतर, 20% स्नातक, 6% उच्च माध्यमिक तथा सबसे कम 4% अन्य पाई गई| गाँव फतेहपुर में महिलाओ की शैक्षिक योग्यता 34% दसवी, 28% उच्च माध्यमिक, 26% स्नातक, 10% स्नातकोत्तर तथा 6% अनपढ़ पाई गई| उसी प्रकार गाँव सलीमपुर में महिलाओं की शैक्षिक योग्यता 30% दसवी, 22% उच्च माध्यमिक, 18% स्नातक, 14% स्नातकोतर तथा 4% अन्य पाई गयी| साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ के परिवार की आय के स्त्रोत का भी अध्ययन किया गया| सबसे ज्यादा महिलाये घरेलु महिलाये 48% गाँव सलीमपुर, 38% गाँव फतेहपुर तथा 36% गाँव धनीपुर में आंकी गयी| इसके बाद पारिवारिक कृषि स्त्रोत पर आधारित 42% गाँव फतेहपुर, 38% गाँव धनीपुर तथा 22% गाँव सलीमपुर में मिली| साक्षात्कार के अंतर्गत सरकारी नौकरी पर आधारित महिलाओं का आय स्त्रोत 14% गाँव सलीमपुर, 6% गाँव धनीपुर तथा 4% गाँव फतेहपुर में पाई गई| जबकि गैर सरकारी नौकरी पर आधारित महिलाओं का आय स्त्रोत 16% गाँव सलीमपुर में, 14% गाँव धनीपुर में तथा 10% गाँव फतेहपुर में मिली | वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत पंचायती राज के प्रति जागरूकता के आधार पर भी महिलाओ कि स्थिति का अध्ययन किया गया| इसमे 73 वें संवैधानिक संशोधन का ज्ञान सबसे ज्यादा 16% फतेहपुर गाँव में, 12% सलीमपुर में तथा 10% धनीपुर गाँव; पंचायती राज की आय के स्त्रोत का ज्ञान सबसे ज्यादा 30% गाँव धनीपुर में, 28% गाँव सलीमपुर में तथा सबसे कम 16% गाँव फतेहपुर में; पंचायत की शक्ति और कार्य का ज्ञान सबसे ज्यादा 30% फतेहपुर गाँव में, 16% धनीपुर गाव में तथा सबसे कम 6% सलीमपुर गाँव में; पंचायत में महिलाओं की स्थिति का ज्ञान सबसे ज्यादा 14% गाँव धनीपुर और सलीमपुर में तथा सबसे कम 10% गाँव फतेहपुर में; पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा महिलाओ के आरक्षण का ज्ञान सबसे ज्यादा 16% सलीमपुर तथा धनीपुर गाँव में तथा सबसे कम 4% गाँव फतेहपुर में; महिला सशक्तिकरण का ज्ञान सबसे ज्यादा 18% फतेहपुर गाँव में, 12% सलीमपुर गाँव में तथा सबसे कम 6% धनीपुर गाँव में; तथा पंचायती राज जागरूकता का अभाव का ज्ञान सबसे ज्यादा 12% सलीमपुर गाँव में, 8% धनीपुर गाँव में तथा सबसे कम 6% फतेहपुर गाँव में आंका गया| वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत 50 महिलाओं के साक्षात्कार के दोरान गाँव सलीमपुर में 80% महिलाये मतदाता के रूप में, 18% महिलायें राजनैतिक पार्टी के साथ, 0% महिलायें आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 2% महिलायें अभ्यार्थी के रूप में भाग लेने के रूप में आंकी गई; गाँव फतेहपुर में 78% महिलायें मतदाता के रूप में, 4% महिलायें राजनैतिक पार्टी के साथ, 16% महिलायें आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 2% महिलायें अभ्यार्थी के रूप में भाग लेने का

व्यावहारिक ज्ञान आंका गया| उसी प्रकार गाँव धनीपुर में 70% महिलायें मतदाता के रूप में, 20% महिलायें राजनैतिक पार्टी के साथ, 8% महिलायें आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 2% महिलायें अभ्यार्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान आंका गया| [1डॉ. अशोक कुमार यादव और 2मधु. **73 वे संवैधानिक संशोधन के पश्चात् महिलाओ कि पंचायती राज संस्थाओ में भागीदारी: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के विशेष संदर्भ में अध्ययन**

शब्द कुंजी: हरियाणा, कुरूक्षेत, महिलायें, पंचायती राज, संवैधानिक संशोधन

प्रस्तावना: भारत मे पंचायती राज का इतिहास अति प्राचीन है। भारत में पंचायती राज वैदिक काल से विभिन्न-विभिन्न रूपों में चला आ रहा है| पंचायती राज भारत के विभिन्न-विभिन्न भागों में अनेक नामो से जाना जाता हैं जैसे पंचायत समिति (बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान), मंडल पंचायत (आन्ध्र प्रदेश), पंचायत यूनियन (तमिलनाडु), आंचलिक परिषद (पश्चिम बंगाल), आंचलिक पंचायत (असम), तालुका डवलपमेंट बोर्ड (कर्नाटक), जनपद पंचायत (मध्य प्रदेश), अंचल समिति (अरुणाचल प्रदेश), क्षेत्र समिति (उत्तर प्रदेश) तथा ग्राम पंचायत (हरियाणा) (हूजा, 2007, गंगेश्वर, 2012) |

ग्राम पंचायतो में पंचायती राज बनाये रखने के लिए संविधान में कई बार संसोधन किये गए है| 73 वें संवैधानिक संशोधन (1992) के अनुसार भारत में पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को पूरी छुट दी गयी है| इसके अनुसार पंचायत के अध्यक्ष को सामान्य मुखिया/सरपंच कहते है | पंचायती राज के तीनों भाग, गांव के ऊपर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर के ऊपर पंचायत समिति तथा जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद् का गठन किया है (मिश्रा, 2001; यादव और मधु, 2015) | ग्राम पंचायतो के चुनाव पहली बार 1971, दूसरी बार 1978, तीसरी बार 1983, चौथी बार 1988 तथा पाचवीं बार 1991 में 73 वां संवैधानिक संशोधन लागू होने से पहले करवाए गये। तथा इसके बाद हर 5 साल में पंचायतो के चुनाव होते हैं जिसमे महिलाओ के 33% आरक्षण का भी प्रावधान है|

हरियाणा भारत एक विकसित और पुरूष प्रधान राज्य हैं। हरियाणा में "पंचायती राज" ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का सूचक है। हरियाणा में लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले 879 महिलाएं हैं। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद है कि लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या) के लिहाज से हरियाणा देश के सबसे खराब राज्यों में गिना जाता है। भारत के मुख्यत: राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान की तरह हरियाणा मे बड़ी-बड़ी खाप पंचायते है। हरियाणा में इन ग़ैर कानूनी पंचायतों के ज्यादातर फ़ैसले, इज्जत की परिभाषा और रूढ़ीवादी सोच पर आधारित होते हैं (डॉ. अजय रंगा, 2013)|

वैसे तो कहा जाता है कि भारत एक लोकतान्त्रिक देश है| यहाँ पर महिलाओं को पुरुषो के बराबर अधिकार है तथा 73 वे संवैधानिक संसोधन के बाद महिलाओं को 33% का आरक्षण आरक्षित है | परन्तु भारत आज भी एक पुरुष प्रधान देश है तथा पंचायती राज में आरक्षित सिटो पर महिलाओं का चुनाव होने के बाद भी वो अपना फैसला स्वतंत्रत रूप से नहीं ले सकती है | आज भी हमारे देश में महिलाये प्रशासनिक एवम राजनैतिक रूप से काफी पिछड़ी हुई है। आज भी देश में लड़कियो को एक बुरी नजर से देखा जाता है। उनको समाज के अंदर लड़को के बराबर के अधिकार नहीं दिये जाते है। भारतीय समाज में नारी को इतना दबा कर रखा गया कि उसे अपनी क्षमताओ व सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं रहा। वर्तमान सरकार के अनुसार हरियाणा के अदर औरतों को पुरूषों के बराबर अधिकार हैं। यहाँ पर महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय हैं। जो राजनीतिक रूप से पिछडी हुई हैं। यद्पि हरियाणा के अंदर महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती है परन्तु हरियाणा भारत का वह राज्य है जिसमे औरत को दबा कर रखा जाता है यहाँ पर पहले तो महिलाओं को चुनावों में खड़ा कर दिया जाता है लेकिन उनको अपने अधिकारों की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती क्योकि पुरूषों द्वारा उन्हें दबा दिया जाता है और उनकी जगह प्रशासनिक कार्य स्वयं करते है1 आज तक हरियाणा के अंदर 73 वे सवैधानिक संशोधन से पहले व उसके बाद कि पंचायती राज कि स्थिति व महिलाओं कि स्थिति के अध्ययन के ऊपर कोई ज्यादा अनुसन्धान नही हुए है इसलिए वर्तमान अध्ययन

में "73 वे सवैधानिक संसोधन के पश्चात् महिलाओ कि पंचायती राज संस्थाओ में भागीदारी: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के विशेष संदर्भ में अध्ययन" का आयोजन किया है |

अध्ययन क्षेत्र और कार्यविधि: हरियाणा (27° 39′ ओर 30° 55′ उतरी अक्षांश से 74° 27′ ओर 77° 36′ पूर्वी देशांतर), उतर –पश्चिम भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवम्बर 1966 को हुई। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44, 212 वर्ग किमी हैं। इसकी सीमायें उतर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान, पूर्व मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, उतर-पश्चिम से जुड़ी हुई हैं। इस राज्य के चार मण्डल (अंबाला, हिसार, गुड़गाँव ओर रोहतक) हैं। हरियाणा राज्य भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जहाँ अधिकतर लोग गावों में निवास करते है। यहाँ ग्रामीण व्यवस्था पर ग्राम पंचायतो का नियन्त्रण होता है, जो कि समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखती है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायते विधमान रही है। इस तरह की पंचायते विशेषकर जाट बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रिय है (डॉ. शिव भावना, 2013) ।

कुरुक्षेत्र जिला (76° 26′ ओर 77° 04′ उतरी अक्षांश से 29° 52′ ओर 30° 52′ पूर्वी देशांतर), भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के 21 जिलों में से एक है (चित्र 1)। जिसकी सथापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी| यह जिला अम्बाला सम्भाग (मण्डल) का एक भाग है। जिले का कुल क्षेत्रफल 1682.53 वर्ग किमी, कुल जनसंख्या 964231, लिंग अनुपात 888:1000 ओर औसत साक्षरता 76.31% (2011 की जनगणना के अनुसार) है। कुरुक्षेत्र जिले में दो उप-सम्भागों का समावेश है: थानेसर और पिहोवा। थानेसर उप-सम्भाग में में दो तहसिलें, थानेसर और शाहबाद और दो उप-तहसिल, लाडवा और बाबैन हैं। पिहोवा उप-खण्ड में पिहोवा तहसिल और इस्माईलाबाद उप-तहसिल शामिल हैं। कुरूक्षेत्र जिले के 6 खण्ड लाडवा, पिहोवा, शाहबाद, थानेसर, बाबैन तथा इस्माईलाबाद हैं। इस जिले के महत्वपूर्ण नगर कुरुक्षेत्र, थानेसर और पिहोवा हैं। कुरुक्षेत्र कस्बा हिन्दुओ का एक पावन स्थान, जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। परन्तु पंजाब सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में सिख आबादी भी है। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग कि जनसँख्या कम है | कुरुक्षेत्र जिले में कुल 419 गाँव है| जिसमे थानेसर तहसील में 173 गाँव, पिहोवा तहसील में 111 गाँव तथा शाहबाद तहसील 135 गाँव है| कुरुक्षेत्र के गांवो में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्गों के लोग आपस में मिलझुल कर रहते है | कुरुक्षेत्र जिले में पंचायती राज के अंदर महिलाओ कि स्थिति हरियाणा के दुसरे जिलो कि अपेक्षा ज्यादा अच्छी है | यहाँ पर पंचायती राज के अंदर महिलायें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है |

वर्तमान अध्ययन मे कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा तहसील के धनीपुर गाँव, थानेसर तहसील के फतेहपुर गाँव तथा शाहबाद तहसील के सलीमपुर गाँव में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक किया गया है (चित्र-1) | धनीपुर, फतेहपुर ओर सलीमपुर गाँव मे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लोग रहते है | वर्तमान अध्ययन के लिए क्रम रहित नमूना विधि (नन्दल, 2013) का प्रयोग किया गया है, जिसमे प्राथमिक और द्तीय आकड़े का प्रयोग किया गया है | प्राथमिक आकड़े के लिए तीनो गांवों के सभी जातीय श्रेणी में क्रम रहित 50-50 महिलाओ का अलग-अलग साक्षात्कार लिया गया था | दितीय डाटा को विभिन्न सरकारी अभिलेख के माध्यम से प्राप्त किया गया | 73 वे संवैधानिक संसोधन के पश्चात् महिलाओं कि पंचायती राज संस्थाओ में भागीदारी का अध्ययन करने के लिए महिलाओ की उम्र, शिक्षा, जाति, परिवार, परिवार प्रकार, परिवार आकर तथा परिवार आय स्त्रोत आदि का विश्लेषण किया गया | इसके बाद दोनों प्रकार के आकड़ो का विश्लेषण statically विधि द्वारा किया गया I

परिणाम और विचार विमर्श:

73 वे सवैधानिक संसोधन के बाद हरियाणा कि पंचायती राज में महिलाओ को एक सदृढ़ ढाचा मिला है | वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक जिला कुरुक्षेत्र के गाँव धनीपुर (पेहोवा), फतेहपुर (थानेसर) तथा सलीमपुर (शाहबाद) में 50-50 महिलाओ का चयन किया गया है| इन 50-50 महिलाओ का साक्षात्कार अलग-अलग लिया गया तथा इसके माध्यम से महिलाओ की पंचायती राज में भागीदारी का वर्णन किया गया|

कोल ओर साहनी (2009) ने जम्मू –कश्मीर के 2 जिले (जम्मू ओर कठुवा) की महिलाओ की पंचायती राज में भाग लेने वाली समस्याओं का अध्ययन किया| अध्ययन में पाया गया की 33 महिलाओ में से 2 महिलाएं, जिनका निर्वाचन पंचायत में हुआ उनका भी सम्मान नहीं किया जाता था I इन 33 महिलाओ मे 23-50 वर्ष की 66% महिलाए, 51-70 वर्ष की 18% महिलाएं तथा 70 वर्ष से ज्यादा 2% महिलाए थी|

वर्तमान अध्ययन में 50 महिलाओ में युवा उम्र कि महिलाओ की संख्या सबसे जयादा 66% सलीमपुर गाँव में, 62% धनीपुर गाँव में तथा 56% गाँव फतेहपुर मिली| वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत बुजुर्ग महिलाओ की संख्या सबसे जयादा 12% गाँव फतेहपुर मे, 10% धनीपुर गाँव में तथा सबसे कम 6% सलीमपुर गाँव में पाई गई है (तालिका 1)|

नन्दल (2013) ने हरियाणा में जिला सोनीपत के गाँव अलवाली में महिलाओ की पंचायती राज संस्थाओ में भागीदारी का अध्ययन कियाI उसने अपने अध्ययन के अंतर्गत महिलाओ की शैक्षिक योग्यता तथा उनके परिवार के आय के स्त्रोतों का अध्ययन किया| उसने गाँव अलवाली में 50 महिलाओ मे केवल 34% महिलाए माध्यमिक, 14% उच्च माध्यमिक, 13% स्नातक, 10% स्नातकोत्तर तथा केवल 6% महिलाए अनपढ़ पाई| इन महिलाओ में 48% महिलाओ के परिवार की आय कृषि, 14% महिलाओ के परिवार की आय सरकारी नौकरी, 12% महिलाओ के परिवार की आय गैर-सरकारी तथा 26% महिलाओ के परिवार की आय अन्य स्त्रोत थेI

धनीपुर गाँव कि साक्षात्कार महिलाओ में सामान्य वर्ग की 44%, पिछड़े वर्ग की 30% तथा अनुसूचित जाति की 26% महिलाए मिली| गाँव फतेहपुर में 50 महिलाओ में 56% सामान्य वर्ग की, 24% पिछड़े वर्ग की तथा 20% अनुसूचित जाति की महिलाये थी| इस प्रकार गाँव सलीमपुर में 46% सामान्य वर्ग की, 28% पिछड़े वर्ग की तथा 26% अनुसूचित जाति की महिलाए थी (तालिका 2)|

धनीपुर गाँव में 50 साक्षात्कार महिलाओ में सबसे ज्यादा शैक्षिक योग्यता 40% दसवी, 22% स्नातकोतर, 20% स्नातक, 6% उच्च माध्यमिक तथा सबसे कम 4% अन्य पाई गई| उसी प्रकार गाँव फतेहपुर में साक्षात्कार महिलाओ की शैक्षिक योग्यता 34% दसवी, 28% उच्च माध्यमिक, 26% स्नातक, 10% स्नातकोत्तर तथा 6% अनपढ़ पाई गयी| इस प्रकार गाँव सलीमपुर में 30% दसवी, 22% उच्च माध्यमिक, 18% स्नातक, 14% स्नातकोतर तथा 4% अन्य शैक्षिक योग्यता आकी गयी (तालिका 3)|

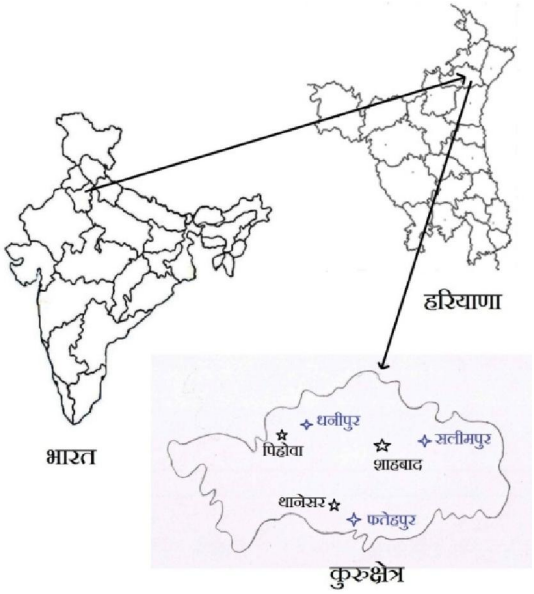

चित्र 1 अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा (भारत)|

साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ की पारिवारिक आय के स्त्रोतों का भी अध्ययन किया गया| सबसे जयादा घरेलु महिलाये 48% गाँव सलीमपुर में, 38% गाँव फतेहपुर में तथा 36% गाँव धनीपुर में आकी गयी| इसके बाद पारिवारिक कृषि स्त्रोत 42% गाँव फतेहपुर, 38% गाँव धनीपुर तथा 22% गाँव सलीमपुर में आंकी गई| गाँव की कुल सरकारी नौकरी आय स्त्रोत 14% गाँव सलीमपुर में, 6% गाँव धनीपुर में तथा 4% गाँव फतेहपुर में आंकी गई| जबकि गैर सरकारी नौकरी आय स्त्रोत सबसे ज्यादा 16% गाँव सलीमपुर, 10% गाँव फतेहपुर तथा 14% गाँव धनीपुर में आंकी गई (तालिका 4)|

सिंह (2011) ने स्वेडन और भारत की महिलाओ का पंचायती राज के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया | उसने पाया की स्वेडन की महिलाए हमारे देश की महिलाओ के मुकाबले में ज्यादा जागरूक है| क्योकि वहा पर बेरोजगारी, अनपढ़ता तथा जनसँख्या जैसी समस्या नहीं है | भारत में केवल 12% महिलाए ऐसी है जिनकी

पंचायत के आय स्त्रोत; शक्ति और कार्य; महिलाओ की स्थिति; लोकसभा; राज्यसभा; विधानसभा और पंचायती राज में महिलाओ के आरक्षण का ज्ञान है|

वर्तमान साक्षात्कार के अंतर्गत पंचायती राज के प्रति जागरूकता के आधार पर भी महिलाओ कि स्थिति का अध्ययन किया गया| इनमे से 73 वे सवैधानिक संसोधन का ज्ञान सबसे ज्यादा 16% फतेहपुर गाँव में; 12% सलीमपुर गाँव में तथा सबसे कम 10% धनीपुर गाँव में; पंचायती राज कि आय का स्त्रोत का ज्ञान सबसे ज्यादा 30% धनीपुर गाँव में, 28% गाँव सलीमपुर में तथा 16% गाँव फतेहपुर में; पंचायत की शक्ति और कार्य का ज्ञान सबसे 30% फतेहपुर गाँव में, सबसे ज्यादा 16% धनीपुर गाँव में तथा 6% सलीमपुर गाँव में; पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा महिलाओ के आरक्षण का ज्ञान सबसे ज्यादा 16% सलीमपुर गाँव में; 16% धनीपुर गाँव में तथा सबसे कम 4% फतेहपुर गाँव में; महिला सशक्तिकरण का ज्ञान सबसे ज्यादा 18% फतेहपुर गाँव में; 12% सलीमपुर गाँव में तथा सबसे कम 6% धनीपुर गाँव में; पंचायती राज में जागरूकता का अभाव का ज्ञान सबसे ज्यादा 12% सलीमपुर गाँव में, 8% धनीपुर गाँव में तथा सबसे कम 6% फतेहपुर गाँव में आंका गया (तालिका 5)|

गोवदा (1998) ने भी अपने कर्नाटक अध्ययन में पाया कि 80% महिलाए किसी न किसी राजनैतिक पार्टी के साथ जुडी हुई है| अम्बेडकर (2006) ने जयपुर की पंचायती राज में महिलाओ की स्थिति का अध्ययन किया | उसने पाया की 50% महिलाए किसी न किसी राजनैतिक पार्टी से जुडी हुई है| केवल 12% महिलाए ही स्वतंत्रत उमीदवार को मत देना पसंद करती है|

वर्तमान साक्षात्कार के अंतर्गत गाँव धनीपुर की महिलाओ का 70% महिलाये मतदाता के रूप में, 20% महिलाये राजनैतिक पार्टी के साथ, 8% महिलाये आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 2% महिलाये अभ्यार्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान आंका गया| उसी प्रकार गाँव फतेहपुर की महिलाओं का 78% महिलाये मतदाता के रूप में, 4% महिलाये राजनैतिक पार्टी के साथ, 16% महिलाये आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 2% महिलाये अभ्यार्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान आंका गया| इस प्रकार गाँव सलीमपुर की महिलाओं का 80% महिलाये मतदाता के रूप में, 18% महिलाये राजनैतिक पार्टी के साथ, 0% महिलाये आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 2% महिलाये अभ्यार्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान आंका गया (तालिका 6)|

तालिका 1: अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र में उम्र अनुसार साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण |

उम्र समूह	धनीपुर गाँव (पिहोवा)		फतेहपुर गाँव (थानेसर)		सलीमपुर गाँव (शाहबाद)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
युवा उम्र समूह (18-30)	31	62%	28	56%	33	66%
middle उम्र समूह (31-50)	14	28%	16	32%	14	28%
बुजुर्ग उम्र समूह (50 से जयादा)	5	10%	6	12%	3	6%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%

तालिका 2: अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र में जाति के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण|

उम्र समूह	धनीपुर गाँव (पिहोवा)		फतेहपुर गाँव (थानेसर)		सलीमपुर गाँव (शाहबाद)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	22	44%	28	56%	23	46%
अनुसुचित जाति वर्ग	13	26%	10	20%	13	26%
पिछड़ा वर्ग	15	30%	12	24%	14	28%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%

तालिका 3: अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र में शिक्षा के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण|

शैक्षिक योग्यता	धनीपुर गाँव (पिहोवा)		फतेहपुर गाँव (थानेसर)		सलीमपुर गाँव (शाहबाद)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अनपढ़	4	8%	3	6%	6	12%
दसवी	20	40%	17	34%	15	30%
उच्च माध्यमिक	3	6%	14	28%	11	22%
स्नातक	10	20%	13	26%	9	18%
स्नातकोतर	11	22%	5	10%	7	14%
अन्य	2	4%	0	0%	2	4%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%

तालिका 4: अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र में पारिवारिक आय के स्त्रोत के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण|

आय के स्त्रोत	धनीपुर गाँव (पिहोवा)		फतेहपुर गाँव (थानेसर)		सलीमपुर गाँव (शाहबाद)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
घरेलू महिला	18	36%	19	38%	24	48%
सरकारी नौकरी	3	6%	2	4%	7	14%
गैर सरकारी नौकरी	7	14%	5	10%	8	16%
कृषि	19	38%	21	42%	11	22%
अन्य	3	6%	3	6%	0	0%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%

तालिका 5: अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र में पंचायती राज के प्रति जागरूकता के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण |

जागरूकता	धनीपुर गाँव (पिहोवा)		फतेहपुर गाँव (थानेसर)		सलीमपुर गाँव (शाहबाद)	
	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत
73 वे सवैधानिक संसोधन का ज्ञान	5	10%	7	16%	6	12%
पंचायत के आय के स्त्रोत	15	30%	8	16%	14	28%
पंचायत कि शक्ति और कार्य	8	16%	15	30%	3	6%
पंचायत में महिलाओ कि स्थिति का ज्ञान	7	14%	5	10%	7	14%
पंचायती राज,विधानसभा लोकसभा, राज्यसभा का ज्ञान व महिलाओ के आरचण का ज्ञान	8	16%	2	4%	8	16%
महिला सशक्तिकरण का ज्ञान	3	6%	9	18%	6	12%
पंचायती राज जागरूकता अभाव	4	8%	3	6%	6	12%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%

तालिका 6: अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र में पंचायती राज चुनाओ में चुनाविक भागीदारी के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण |

भागेदारी	धनीपुर गाँव (पिहोवा)		फतेहपुर गाँव (थानेसर)		सलीमपुर गाँव (शाहबाद)	
	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत
मतदाता के रूप में	35	70%	39	78%	40	80%
राजनैतिक पार्टी के साथ	10	20%	2	4%	9	18%
आन्दोलन के सदस्य के रूप में	4	8%	8	16%	0	0%
अभ्यार्थी के रूप में	1	2%	1	2%	1	2%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%

निष्कर्ष:

वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक जिला कुरुक्षेत्र के गाँव धनीपुर (पेहोवा), फतेहपुर (थानेसर) तथा सलीमपुर (शाहबाद) में 50-50 महिलाओ का चयन किया गया| इन 50-50 महिलाओ का साक्षात्कार अलग-अलग लिया गया तथा इसके माध्यम से महिलाओ की पंचायती राज में भागीदारी का वर्णन किया गया| वर्तमान अध्ययन में पाया गया की औसत 6% महिलाए ऐसी थी जिनको पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा में आरक्षित पदों का ज्ञान है | बाकी महिलाओ को पंचायती शक्ति तथा कार्य एवम् आय के स्त्रोत का कम ज्ञान है | अध्ययन में पाया गया की हरियाणा राज्य विकसित होने के बावजूद भी यहाँ पर महिलाओ को पंचायती राज में पुरुष के बराबर अधिकार नहीं दिया जाता | उन्हें आज भी पुरुषों द्वारा दबा कर रखा जाता है | साक्षात्कार महिलाओ की शैक्षिक योग्यता भी ज्यादा नहीं है | वर्तमान समस्या को ध्यान में रखते हुए महिलाओ को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए तथा सरकार द्वारा भी महिला जागरूकता रूपी अभियान चलाने चाहिए | ताकि महिलाओ को भी पंचायती ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा पता चले |

पत्राचार पता:
मधु
राजनैतिक विज्ञान विभाग,
सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी,
झुंझुनू -333515, राजस्थान (भारत)
Email: madhuindora@yahoo.com
फ़ोन नंबर:+91-8814802883
Language: Indian

संदर्भ:

1. हूजा, आर. 2007, "डेमोक्रेटिक दिसंट्र लाइजेशन एंड प्लानिंग" रावत पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली
2. गंगेश्वर, के. 2012. "भारत का पंचायती राज का नामांकन, नेशनल बुक ट्रस्ट: 98.
3. डॉ. अजय रंगा, 2013. हरियाणा की पंचायतो मे महिलाओ की स्थिति, दया पब्लिकेशन हॉउस, अजमेर
4. डॉ. शिव भावना, 2013, "हरियाणा: पंचायती राज (अनुसूचित जाति व महिला आरक्षण के विशेष सन्दर्भ में)" 73 वे सवैधानिक संशोधन के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन, जे. वी. पब्लिशिंग हॉउस, जोधपुर, 1-220.
5. नन्दल वि. 2013. पार्टिसिपेशन ऑफ़ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीटूऑन: एक सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ़ हरियाणा (भारत), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस, 2(12):47-50.
6. कोल, अश. ओर सहनी, अस. 2009. स्टडी ऑन दा पार्टीसिपेसन ऑफ़ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 3(1): 29-38.
7. अम्बेडकर, अस.अन. 2006. न्यू पंचायती राज अट वर्क, जयपुर, ए.बी.डी. पब्लिशर.
8. गोदवा, जी. 1998. पोलिटिकल लिंकेज ऑफ़ वीमेन लीडर्स ऑफ़ पंचायती राज इन्सीचूसन: अन अम्पायरल अविडंस फरोम कर्नाटक, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंग, 25(2): 84-89.
9. यादव, अ. और मधु. 2015. ए ओवरव्यू ऑफ़ पंचायती राज एंड 73 वा अम्मेंडमेंट, रेसेअर्चेर, 7(8): 62-64.

5/10/2017